कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।

संख्या - 660 /सी0आर0ए0–दै0आ0–निविदा/2018–19 दिनांक नवम्बर 29 ,2018

विषय– वर्ष 2018–19 में शीतलहर के बचाव हेतु कम्बल क्रय करने के संबंध में।

1–प्रबंधक, यू0पी0 राज्य हथकरघा निगम लि0, कबीर भवन, जी0टी0 रोड कानपुर।
2–प्रबंधक, यूपिका हैण्डलूम हाउस कानपुर, आई0आई0टी0 कानपुर।
3–प्रबंधक, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मदारवाडी फर्रूखाबाद।
4–प्रबंधक, उ0प्र0 हस्तशिल्प एवं विपणन निगम लि0 19 अमीनाबाद लखनऊ।

वर्ष 2018–19 में शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 3276/एक–10–2018–12(34)/03 टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 26–11–2018 एवं प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ के पत्र संख्या– 3271/एक–10–2018–12 (34)/03 टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 19.11.2018 के प्रस्तर–3 में उल्लखित शासनादेश प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12–08–2016 में अंकित निर्देशों के कम में कम्बल क्रय किये जाने हैं।

नियम व शर्तें :–

1–सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2–उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 3276/एक–10–2018–12(34)/03 टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 26–11–2018 एवं प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ के पत्र संख्या– 3271/एक–10–2018–12 (34)/03 टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 19.11.2018 के प्रस्तर–3 में उल्लखित शासनादेश प्रमुख सचिव उ0प्र0शासन, सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/2016/548 /18–2–2016–12 (एस0पी0) /2010 दिनांक 12–08–2016 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/ परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के सम्बन्ध में सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के उपरोक्त शासनादेश, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्रय किया जायेगा।

3–आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों की निर्धारित दर रू0 500/– से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम तथा 70 प्रतिशत ऊन अपेक्षित है। पुराने यार्न का प्रयोग वर्जित है। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की उपरोक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

4–संस्था का रजिस्ट्रेशन/पता/संस्था का पेन नम्बर/कार्यालय का पता/दूरभाष नम्बर/प्रति कम्बल की दर/शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5–शासनादेश संख्या–8/2016/548/18–2–2016–12 (एस0पी0)/2010 दिनांक 12–08–2016 के पैरा–2(4) में उल्लिखित संस्था/फर्मो द्वारा नामित नोडल अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं इस जनपद में निविदा हेतु अधिकृत फर्म/संस्था के समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रतिभागी होगा, जिसका संस्था/फर्म द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र साथ में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

6–आपूर्तित संस्था को आपूर्तित कम्बलों पर इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम, लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा, कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिकी के लिए नहीं है।

उक्त कम्बलों की आपूर्ति उपरोक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के तहत अधिकृत फर्म/संस्था ही अपने सील बन्द लिफाफे में निविदायें नमूना सहित दिनांक 05–12–2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक दैवी आपदा कार्यालय, कलेक्ट्रेट फर्रूखाबाद के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं जो दिनांक 05–12–2018 को ही सायं 04:00 बजे अपर जिलाधिकारी(जे0)/प्र0अ0(दै0आ0) कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(मोनिका रानी)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–उप जिलाधिकारी/तहसीलदार–सदर/कायमगंज/अमृतपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

2–सहायक जिला सूचना अधिकारी, फर्रूखाबाद को 5 अतिरिक्त प्रतियों में इस आशय से कि निविदा सूचना का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में निःशुल्क कराने का कष्ट करें।

3–नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट फर्रूखाबाद को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी फर्रूखाबाद को इस आशय से कि जनपद की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद।